सं. ओ-17034/49/2013-पीएस

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

(पी.एस. डेस्क)

. . . .

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांकित 13 जून, 2014

कार्यालय ज्ञापन

भारत सरकार के यथा संशोधित, दिनांक 20 अगस्त, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 15(1)/ई-II (ए)/ 2010 के सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 126(2) निम्नानुसार पढ़ा जाए:

> "कोई मंत्रालय या विभाग, अपने विवेक पर, तीस लाख रूपए से अधिक लागत तक के अनुमानित मरम्मत कार्य और किसी भी कीमत के मूल निर्माण कार्य किसी भी ऐसे लोक निर्माण संगठन जैसे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), राज्य लोक निर्माण प्रभागों,सिविल अथवा इलेक्ट्रिकल कार्यों का निष्पादन करने के लिए अधिकृत अन्य केन्द्र सरकारी संगठनों जैसे सैन्य इंजीनियरिंग सेवा (एमईएस), सीमा सड़क संगठन आदि (बीआरओ) आदि, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार के ऐसे संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिन्हें उनकी वित्तीय क्षमता और तकनीकी सामर्थ्य का मूल्यांकन करने के बाद अधिसूचित किया जा सकता है, सिविल या इलेक्ट्रिकल कार्यों का निष्पादन करने का कार्य सौंपा जा सकता है।"

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि शहरी विकास मंत्रलाय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी), उपरोक्त प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों का निष्पादन करने के लिए तकनीकी तौर पर समर्थ होने के अलावा, उपरोक्त प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, लोक निर्माण संगठन (पीडब्ल्यूओ) की परिभाषा के तहत कवर होता है और अन्य सरकारी विभागों के निर्माण करने के निष्पादन हेतु इसे अधिकृत एजेंसी के तौर पर अधिसूचित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(सुषमा जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 2306 1462

जारी....2

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी स्वायत्त निकाय, अधीनस्थ कार्यालय, भारत सरकार
3. सभी राज्य सरकार विभाग
4. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी लिमिटेड, एनबीसीसी भवन, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003
5. निदेशक, एनआईसी निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. अवर सचिव (प्रशासन), शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली – शहरी विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर ऊपर दिए गए कार्यालय ज्ञापन को अपलोड करने के अनुरोध के साथ।